न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज नत्थू बनाम राज सरकार मु.नं.– 28/23 किस्म – T.A.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	03.6.25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी पक्ष उपस्थित। अप्रार्थी सं. 3 को तलबी जरिये Regd AD कराये छः माह से अधिक समय हो चुका है। बार-2 आवाज दिलवाई गई। कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः अप्रार्थी सं. 3 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर इनका जवाब अवसर बंद किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस प्रा.पत्र T.I. दिनांक 24.6.25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मंडावर (दौसा)	
	24.6.25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रा.पत्र T.I. पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा.पत्र T.I. दिनांक 17.7.25 को पेश हो।	
	17.7.25 अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य का स्थगन रखा गया जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली रवीउजार दिनांक 31.7.25 को पेश हो।	
	31.7.25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थीगण का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर। मूल वाद के साथ नत्थी हो।	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
28/2023	20.06.2023	31.07.2025

बउनवान

1. नत्थू पुत्र सेडया, निवासी निहालपुरा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
2. बजरंगा पुत्र सेडया, निवासी निहालपुरा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।

..प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार बैजूपाडा, दौसा।
2. पजाब नेशनल बैंक जरिये शाखा प्रबंधक, मण्डावर, दौसा।
3. बैंक ऑफ बडौदा जरिये शाखा प्रबंधक, मण्डावर, दौसा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थीगण – श्री मधुसूदन सैनी।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीगण की भूमि विवादित आराजीयात खाता सं. नया व पुराना 1 खसरा सं. 733 रकबा 0.01 हैक्टे., 743 रकबा 0.03 हैक्टे. वाके ग्राम निहालपुरा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा में स्थित है जिसके सैटलमेन्ट संवत 2052 से 2071 पूर्व गत खसरा सं. 98 रकबा 0.04 हैक्टे. राजकीय भूमि मार्ग सडक के नाम दर्ज है। नकल जमाबंदी संवत 2041 से 2044 व नक्शा संवत 2017 नकल दावा हाजा के साथ संलग्न कर प्रस्तुत है। विवादित आराजीयात के सटवा प्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि खसरा सं. 722 रकबा 0.59 हैक्टे., 724 रकबा 0.31 हैक्टे., 726 रकबा 0.23 हैक्टे., 731 रकबा 0.54 हैक्टे., 732 रकबा 0.57 हैक्टे., 744 रकबा 0.15 हैक्टे., 745 रकबा 0.05 हैक्टे., कुल किता 7 कुल रकबा 2.44 हैक्टे. वाके ग्राम निहालपुरा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा में स्थित है जिसके गत खसरा सं. 97 रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा गत सैटलमैन्ट 1952 से 1971 से पहले के है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2041 से 2044 व नक्शा ट्रैश सम्वत 2017 दावा हाजा के साथ संलग्न होकर न्यायालय हाजा में पेश है। विवादित आराजीयात व प्रार्थीगण की उपरोक्त वर्णित भूमि दोनो पास–पास स्थित है। प्रार्थीगण की भूमि खसरा सं. 732 के पूर्व दिशा में विवादित आराजी खसरा नम्बर 243 व दक्षिण दिशा में खसरा सं. 733 स्थित है जिसे नक्शा ट्रैस सम्वत 2017 व हाल नक्शा में बैरंग लाल रंग से दर्शित किया गया है। सैटलमेन्ट से पूर्व विवादित आराजीयात के गत खसरा सं. 98 रकबा 0.04 हैक्टे. थे, उन्हें नक्शे में बिलकुल सही दर्शा रखा था लेकिन सैटलमैन्ट के बाद जब नये सं. 743 रकबा 0.03 हैक्टे. व 733

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

रकबा 0.01 हैक्टे. कायम हुये तो नक्शा ट्रैस में अप्रार्थी सं. 01 ने प्रार्थी की भूमि खसरा सं. 732 के रकबे के दक्षिण दिशा में खसरा सं. 733 मूल रास्ते को छोडकर डोट लाईन करके दर्शित कर दिया जिसे नक्शे में बैरंग लाल से दर्शित किया गया है। इस प्रकार सैटलमेन्ट विभाग को प्रार्थीगण की भूमि खसरा सं. 732 में खसरा सं. 733 के नक्शें में गलत दर्ज करने का व डोट लाईन दर्शित करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं था। उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर प्रार्थी की भूमि खसरा सं. 732 के नक्शे में गलत रूप से खसरा सं. 733 दर्ज किया है। प्रार्थी न्यायालय हाजा से इस अमर की उद्घोषणा की डिकी इन्द्राज दुरूस्ती व नक्शा ट्रैस में करवाने का अधिकारी है कि भूमि खसरा सं. 732 में गलत रूप से दर्शित खसरा सं. 733 डोट लाईन को हटाकर पूर्व नक्शे की स्थिति कायम की जावे। अप्रार्थी सं. 1 विवादित आराजीयात खसरा सं. 733, 743 में जबरन गलत नक्शे की आड में रास्ता कायम करने पर आमादा है जबकि प्रार्थीगण उससे उक्त नक्शे में तरमीम इन्द्राज दुरूस्ती की बाबत निवेदन करके पूर्व के कायम रास्ते में से ही रोड निर्माण के लिये कह चुके है लेकिन वह अपने विधिक अधिकार के विरूद्ध जाकर जबरन मौके पर प्रार्थी की भूमि खसरा सं. 732 में रास्ता कायम करने पर आमादा है। दिनांक 10.06.2023 को अप्रार्थी सं. 01 अपने साथ हल्का पटवारी व गिरदावर को मौके पर लेकर आया तथा गलत नक्शे की आड में प्रार्थी की भूमि खसरा सं. 732 में से रास्ता कायम करने की कहने लगा। इस पर प्रार्थी ने मना किया तो वे नहीं माने तथा पुलिस इमदाद लेकर मौके पर रास्ता कायम करने की धमकी देकर चले गये। यदि अप्रार्थी सं. 01 अपने नाजायज मकसद में कामयाब हो गया तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी तथा पक्षकारान में गैर जरूरी किस्म के मुकदमात चल पडेंगे जो बाय से बर्बादी होंगे। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण न्यायालय हाजा से इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा की प्राप्त करने के अधिकारी है कि अप्रार्थी सं. 01 प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 732 में गलत नक्शे की आड़ में किसी प्रकार का कोई रास्ता कायम करने से व उसमें किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा करने से सदैव के लिये प्रतिबन्धित रहें। प्राईमा फैसाई केस, सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त बमुकाबले अप्रार्थीगण, प्रार्थी के पक्ष में बखूबी प्रमाणित है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को इस अमर से प्रतिबन्धित फरमाया जावे कि अप्रार्थी सं. 01 प्रार्थी की भूमि खसरा सं. 732 के रकबे में दक्षिण दिशा में खसरा सं. 733 के दर्शाये हुये रकबे में डोट लाईन के आधार पर मौके पर किसी भी प्रकार का कोई रास्ता कायम करने से व वादीगण के कब्जा काश्त खातेदारी में मजाहमत पैदा करने से व वादीगण को विवादित आराजीयात प्राप्त अधिकारों के विरूद्ध कोई भी कार्य करने से प्रतिबन्धित रहे, मौके व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 13.09.2023 को अप्रार्थी सं. 1 के विरुद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम निहालपुरा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में स्थित विवादित आराजी खसरा सं. 732 के मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे।

3. अप्रार्थीगण, नोटिस की तामील के बावजूद, न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर जबाव का अवसर बन्द किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

4. प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का, एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

5. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र इन्द्राज दुरुस्ती तथा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार, विवादित आराजी खसरा सं. 732 के प्रार्थीगण दर्ज रिकॉर्ड खातेदार है। इस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। उक्त खसरा सं. 732 के समीपवर्ती खसरा सं. 733 तथा 743 की नक्शा में दुरुस्ती के लिये प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। इसलिए जब तक उक्त दुरुस्ती का गुणावगुण पर निर्णय नहीं हो, तब तक खसरा सं. 732 में किसी भी प्रकार का निर्माण या मौके की स्थिति में परिवर्तन होने से प्रार्थी को असुविधा तथा अपूरणीय क्षति होगी।

6. उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में है। इसलिए सम्बद्ध वाद लम्बित रहने की अवधि तक विवादित आराजी खसरा सं. 732 को अप्रार्थीगण द्वारा दुर्व्ययन करने, नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने की स्थिति से बचाने के लिये, वाद बहुलता तथा मौके पर विवाद रोकने के लिए अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश जारी किया जाना उचित है।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

आदेश

7. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम निहालपुरा, पटवार हल्का निहालपुरा, तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में स्थित विवादित आराजीयात खाता संख्या 87 के खसरा सं. 732 के सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 13.09.2023 को, प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध मूल वाद के निर्णित होने तक, संपुष्ट (Confirm) किया जाता है तथा अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश इस आशय का जारी किया जाता है कि अप्रार्थीगण विवादित आराजी खसरा सं. 732 के वर्तमान मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे। साथ ही प्रार्थी के हिस्से में कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रुकावट, मजहमत, मदाखलत नहीं करेंगे, प्रार्थी को शांतिपूर्वक काश्त करने से नहीं रोकेगें एवं उक्त भूमि को किसी दीगर व्यक्तियों को बेचान नहीं करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

8. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 31.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)